## समक्ष उच्चतम न्यायालय, भारत <u>आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार</u> आपराधिक अपील कमांक 251/2010

मध्य प्रदेश राज्य

अपीलार्थी

विरुद्ध

अमर लाल

प्रत्यर्थी

## निर्णय

## न्यायमूर्ति, नवीन सिन्हा

अपीलार्थी—राज्य ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अतंर्गत आरोप से प्रत्यर्थी की दोषमुक्ति पर प्रश्न उठाया है जबकि तब भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अतंर्गत उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि की गई है।

- 2. यह कहा गया है कि मृतक पर हमला दिनाँक 27.03.1990 को भूमि जोतने के लिए प्रयुक्त होने वाले लकड़ी के हल के नुकीले सिरे से किया गया था। अ० सा० 4 एव अ० सा० 5 मृतक के परिवार के सदस्य हैं। परवर्ती एक आहत साक्षी भी है। अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन किया गया था कि हमले के सबंध में उपलब्ध मौखिक साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए, उच्च न्यायलय ने इस तर्क के आधार पर प्रत्यर्थी को दोषमुक्त करने में त्रुटि की है कि यद्यपि हमला कीलयुक्त हल के नुकीले सिरे से किया गया था, ऐसी कोई अनुरूपी क्षति नहीं हुई थी क्योंकि पाई गई क्षति की प्रकृति केवल बोथरी एवं कठोर वस्तु से आ सकती थी। उपरोक्त आधार पर मात्र चिकित्सक अ० सा० 6 के अभिमत पर आधारित दोषमुक्ति अनुचित थी। अ० सा० 4 एव अ० सा० 5 के चक्षुदर्शी साक्षी होने पर अथवा यह कि परवर्ती उसी घटना में आहत हुआ था, कोई संदेह नहीं किया गया है।
- 3. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनुकूल चन्द्र प्रधान ने निवेदन किया है कि दोषमुक्ति के पूर्व उसने 14 वर्ष 6 माह एवं 7 दिवस का निरोध पहले ही पूरा कर लिया है।

- 4. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना है एवं अभिलेख पर आई सामग्री के साथ—साथ अ० सा० 4 एव अ० सा० 5 के साक्ष्य का परिशीलन किया है। अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने विचाराधीन के रूप में 2 वर्ष 8 माह एवं 11 दिवस को निरोध भुगत लिया है एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनाँक 24.01.1995 को उसकी दोषमुक्ति होने पर वह दिनाँक 18.11.2006 तक निरोध में रहा तथा 11 वर्ष 9 माह 26 दिवस पूर्ण किए। इस प्रकार उसने 14 वर्ष 6 माह 7 दिवस का निरोध भुगत लिया है।
- 5. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए हम प्रस्तुत मामले को हस्तक्षेप योग्य नहीं मानते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा

नई दिल्ली 10 दिसम्बर 2019.

अस्वीकरणः— स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।